

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2014/ 5068-5427

लखनऊ: दिनांक: 15/5/14

:—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुमोदन के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में, पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 13/05/2014 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संस्थाओं को पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता में वृद्धि का सम्बद्धता विस्तार सत्र 2014-15 तक प्रदान किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया है:-

संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत सभी तथ्य उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ए०आई०सी०टी०ई० की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी तथ्यों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा तत्समय भी कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, और परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के भानकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी, और सोसाइटी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिये संस्था की संचालक स्वयं उत्तरदायी होगी।

निम्नानुसार संबंधित संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2014-15 हेतु उपरोक्त शर्त के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता है।

65	आइ०आई०एम०टी०का लेज आफ पालीटेक्निक, गौतमबुद्धनगर।	570	सिविल इंजी० इलेक्ट्रिकल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(मैंटी०) मैकेनिकल इंजी०(प्रोड०) इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	120 60 60 120 00	180 60 60 180 60
----	---	-----	--	------------------------------	------------------------------

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु रू0- 28,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू0- 20,000.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2014-2015 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(आर० के० वर्मा)
सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद/2014/ 5428

तद दिनांक: 15/5/2014

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य, आई. आई. स्कूल, सी. कालेज हाफ
पॉलीटेक्निक, A-20 नालेडा पार्क-III, गेट
नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

को
इस आशय से कि संस्था की सोसाइटी/ट्रस्ट के संचालक/प्रबंधक को उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र
परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(आर० के० वर्मा)
सचिव।